UPPB010020662022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं04, पीलीभीत।

उपस्थित : अनु सक्सेना, उच्चतर न्यायिक सेवा,

विशेष सत्र परीक्षण सं0–391/2022

उ0 प्र0 राज्य.....अभियोजन पक्ष।

प्रति

जगदीश पुत्र ईश्वर दयाल निवासी ग्राम नदहा थाना गजरौला पीलीभीत।

.....अभियुक्त

मु0अ0सं0–574/2017
धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–गजरौला, जिला– पीलीभीत।

दिनांकः 14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी । अभियुक्त जगदीश की ओर से अपराध संस्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर विद्युत विभाग के विद्वान नामिका अधिवक्ता द्वारा यह आख्या अंकित की गयी है कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त विद्युत चोरी करते पाया गया । अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग का कराधान व समन शुल्क जमा किया गया, जिसकी रसीदें दाखिल पत्रावली हैं । अभियुक्त इकबाले जुर्म के आधार पर उक्त पत्रावली का निस्तारण कराना चाहता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

Digitally signed by Anu Saxena
Date: 2026.03.19 11:06:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को चेतावनी दी गयी कि वह अपना जुर्म स्वीकार करने या न करने के लिये स्वतंत्र है और यदि वह अपना जुर्म स्वीकार करता है तो विधिनुसार उसे दण्डित किया जायेगा । इस चेतावनी के बावजूद भी उक्त अभियुक्त द्वारा अपराध संस्वीकृत किये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को सही बताते हुये अपने अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त उपरोक्त की स्वेच्छा से अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को आरोप अंतर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उसका व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हो ।

दिनांकः14.03.2026

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं04,
पीलीभीत।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । दोषसिद्ध की ओर से कथन किया गया कि वह गरीब मजदूर व्यक्ति है। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उसके द्वारा

विद्युत विभाग के समस्त देयों का भुगतान वर्तमान में कर दिया गया है। उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उसको कम से कम दण्ड से दण्ड़ित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा दोषसिद्ध गरीब मजदूर व्यक्ति होना कहा गया है। दोषसिद्ध ने अपने जुर्म को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध को, उसकी अपराध संस्वीकृति के आधार पर आरोप अंतर्गत धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम में दोषी पाते हुये मु0–1500/–रूपये (एक हजार पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध जगदीश को, उसकी अपराध संस्वीकृति के आधार पर आरोप अंतर्गत धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम में दोषी पाते हुये मु0–1500/–रूपये (एक हजार पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध को एक सप्ताह के कारावास की सजा भुगतना होगी ।

दोषसिद्ध उपरोक्त द्वारा उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा की गयी । अतः उसे न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाये ।

इस आदेश का कोई प्रभाव विद्युत विभाग के किसी बकाया पर नहीं पड़ेगा तथा विद्युत विभाग नियमानुसार शेष बकाया अभियुक्त से बसूल कर सकता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांकः 14.03.2026

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं04,
पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 14.03.2026

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं04,
पीलीभीत।